

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बांटीकुई

अवाकत

कलेक्टर

मुकाम

राज सरकार

दुर्गा लाल

बनाम

हला 36 धोका पुदली इलाज नं०

१० सन 2025

प मुकदमा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुएरीख
म

11/06/2025

पत्रावली पेशा हुई। वकील बांटी कुई उपर पैंरोडर
सरकार/तहसीलदार बांटी कुई उपर प्रकरण में तहसीलदार
बांटी कुई कंप्रोट 2770 दिनांक 10/06/25 के द्वारा
रिपोर्ट प्राप्त होडा शामिल पत्रावली हो प्रकरण में बांटी
वकील द्वारा बहस की गयी। पैंरोडर सरकार/तहसीलदार
बांटी कुई न्यायालय में उपस्थित होडा बांटी बाद दावा
बांटी इलाज दुखली एवं उदघोषणा खोतदारी में बांटी
अपमति नहीं होना जाहिर किया। इस बाबत आदेशिका
पर हस्ताक्षर किये। बांटी वकील बहस पर मनन किया।
पत्रावली व तहसीलदार बांटी कुई से प्राप्त रिपोर्ट का
अवलोकन किया। बांटी के साथ के रूप में ब्याप्त किये।
अतः बांटी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली
में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार बांटी कुई
से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के आधार पर बांटी
कुपिता का नाम रामलाल उर्फ रामदेव पुत्र प्रभातीलाल
राजस्व रिकॉर्ड में इलाज दुखली किया जाना उचित प्रतीत
होता है। अतः बांटी बाद स्वीकार किया जाकर जमावदी
सेवत 2074-2077 के खाता सं. नया 79 पुराना 79
के ख. नं. 624, 622, 623 कुल किरा 3 कुल रुकवा
0.49 हेक्टर वकिराम बडवास तह. बांटी कुई में
रामलाल प्रभातीलाल के ब्याप्त पर "रामलाल उर्फ
रामदेव पुत्र प्रभातीलाल" दर्ज करना सुनिश्चित करें।
विरुद्ध निर्णय पत्रावली से लिया जाडा शामिल पत्रावली

XW

11/6/25

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्र
अदालत
हुक्म
मय जज

क्रिया/प्रवृत्ति के समस्त गुण होत्र मद्र तच्छीन
वास्तविक दफ्तर हो

Xly 6-
[] लखनऊ अधिकारी
होदीकई (दोसा)